संख्या-21/2017/एस-209/ 38-2-2017-2(12)एस/2016

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2017**

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के लेखा संवर्ग के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति (2008) की लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 10-10-2011 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के लेखा संवर्ग का ढांचा दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान ढांचा :-

क्रसं0	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	लेखा लिपिक	01	5200-20200, ग्रेड पे-रू0 2000/-
2	लेखाकार	01	5200-20200,गेड पे-रू0 2800/-

पुनर्गठित ढांचा :-

क्रसं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	3	4
1	सहायक लेखाकार	01	रू0 5200-20200, ग्रेड पे- रू0 2800/-	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती-स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा की अर्हता धारियों से।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	लेखाकार	01	रू0 9300-34800, ग्रेड पे- रू0 4200/-	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

2- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे0ओ0-2-939/दस-2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2017/ एस-209(1)/38-2-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।